उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

परमिशन वाद संख्या – 15/2017

करमचन्द मांझी वगै0 बनाम गेल इंडिया लिमिटेड

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख

21-02-2018

– :: आदेश :: –

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक करमचन्द मांझी पिता आशराम मांझी वो रितवरन मांझी पिता विशेश्वर मांझी वो दशई मांझी पिता किशोरी मांझी वो सुखदेव मांझी पिता शम्भु मांझी वो भोला मांझी पिता किशोरी मांझी वो मुरली मांझी पिता विशेश्वर मांझी वो फुलचन्द मांझी पिता आशाराम मांझी सभी का निवास ग्राम खाखरा, थाना गोला, जिला रामगढ़ (झारखण्ड) द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 के अंतर्गत प्राधिकृत श्री राजेन्द्र चौधरी, पिता स्व0 दिलीप सिंह, मुख्य प्रबंधक (एच0आर0) गेल इंडिया लि0, राँची, 5वॉ तल्ला, पूर्वी ब्लॉक, मेकॉन हेड ऑफिस डोरण्डा, राँची–834002 को प्राकृतिक गैस पाईप लाईन परियोजना हेतु नीचे वर्णित भूमि हस्तानांतरण अनुमति आवेदन एवं अंचल कार्यालय, गोला का पत्रांक 233 दिनांक 21.02.2018 से प्राप्त जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अनुमति हेतु दायर वाद अंगीकृत करते हुए आदेश पारित किया जा रहा है। अनुमति हेतु प्रस्तावित भूमि की विवरणी निम्नवत् है:–

मौजा	थाना/थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	कुल रकवा (अनुमति हेतु प्रस्तावित रकवा एकड़ में)
खाखरा	गोला/69	58	252	0.90 एकड़
कुल रकबा				**0.90 एकड़ (नब्बे डीसमील)**

अंचल अधिकारी, गोला द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक द्वारा अनुमति हेतु प्रस्तावित भूमि सर्वे खतियान में सुखु मांझी वो भुपाई मांझी पेशरान खेला मांझी वो खेपा मांझी वो रेपा मांझी पेशरान टीपना मांझी कौम सौताल साकिन देह के नाम से कुल रकबा 49.85 एकड़ दर्ज है, जो रैयती खाते की भूमि है। जिसकी जमाबन्दी राजस्व पंजी–II के पृष्ट सं0– 11/III पर आवेदक के परदादा ठाकुर मांझी पिता सुखु मांझी के नाम से रकवा 46.65 $\frac{3}{4}$ एकड़ भूमि की जमाबन्दी कायम है तथा वर्ष 2017–18 तक लगान रसीद् निर्गत है।

अंचल अधिकारी, गोला द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदकगण मे से प्रपत्र के कंडिका–14 के क्रम सं0–04 पर अंकित सुखदेव मांझी पिता शम्भु मांझी के अलावे शेष आवेदक भूमिहिन के श्रेणी में आते हैं। फलस्वरूप सरकार के सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड, राँची के संकल्प सं0– 5/स.भू. विविध–156/2016/6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 के कंडिका–2 के आलोक में सुखदेव मांझी पिता शम्भु मांझी के हिस्से की कुल भूमि 2.91150 एकड़ भूमि से बिक्री/हस्तानान्तरण हेतु प्रस्तावित रकबा 0.90 एकड़ भूमि की अनुशंसा की गई है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि बिक्री के पश्चात् सुखदेव मांझी पिता शम्भु मांझी के हिस्से में 2.0150 एकड़ भूमि शेष बचता है, जिससे आवेदक भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आते हैं।

Scanned by CamScanner

अंचल अधिकारी, गोला द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में आवेदक सुखदेव मांझी पिता शम्भु मांझी साकिन खाखरा, थाना गोला जिला रामगढ़ (झारखण्ड) के हिस्से की भूमि मौजा खाखरा, खाता नं0– 58 कुल रकबा 2.9150 एकड़ मध्ये रकबा 0.90 एकड़ भूमि को बिक्री/हस्तानान्तरण छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 के अंतर्गत प्राधिकृत श्री राजेन्द्र चौधरी पिता स्व0 दिलिप सिंह, मुख्य प्रबंधक (एच0आर0) गेल इंडिलया लि0,राँची, 5 वॉ तल्ला, पूर्वी ब्लॉक मेकॉन हेड ऑफिस डोरण्डा, राँची–834002 को प्राकृतिक गैस पाईप लाईन परियोजना हेतु अनुमति निम्नांकित शर्तो पर दी जाती है:–

1. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–49(2) में वर्णित प्रावधानों के तहत यह अनुमति प्राकृतिक गैस, पाइप लाइन परियोजना कार्य हेतु दी जाती है। अतः क्रेता द्वारा उक्त भूमि का गैर परियोजना अथवा किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरण मान्य नहीं होगा। साथ ही यदि उन्हें प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता नही हो तो विपक्षी बिना किसी शर्त के प्रथम पक्ष को वापस करेंगे।

2. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–49(4) में वर्णित प्रावधानों के तहत झारखण्ड मुद्रांक (अवमूल्यन निवारण) नियमावली वर्ष 2012 अन्तर्गत सक्षम प्राधिकार के द्वारा अधिसूचित भूमि का न्यूनतम मुल्य मार्गदर्शिका पंजी में उक्त राजस्व ग्राम हेतु अद्यतन औद्योगिक दर से कम मूल्य पर प्रश्नगत भूखण्ड का हस्तानांतरण नही होगा और यह दर किसी परिस्थिति में "The Right to fair compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013" एवं यथा संशोधित अधिनियम के आलोक में प्रश्नगत भूमि अन्तर्गत उस क्षेत्र में उस किस्म की दी जाने वाली भूमि के दर से कम नही होगा।

3. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–49(5) में वर्णित प्रावधानों से यह आदेश प्रभावित होगा।

4. क्रेता द्वारा Jharkhand Rehabilitation and Resettlement Policy एवं सरकार द्वारा यथा संशोधित इस संबंध में निर्गत निदेशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चत किया जायेगा।

5. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित भू–लगान क्रेता द्वारा भूमि हस्तानांतरण के पश्चात राज्य सरकार को भुगतान किया जायेगा।

6. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–49(3) के आलोक में बिक्रेता द्वारा केता को भूमि हस्तांतरण निबंधित केवाला के माध्यम से किया जाएगा। निबंधित केवाला के पूर्व अधोहस्ताक्षरी आदेश में उल्लेखित शर्तों के संबंध में अंचल अधिकारी, गोला से अनुमति ली जाएगी। अंचल अधिकारी, गोला द्वारा भूमि हस्तांतरण हेतु निबंधित दस्तावेज में उपरोक्त सभी शर्तों का अक्षरशः अनुपालन हुआ है, सुनिश्चित करेंगे। साथ ही बिक्रेता भूमि हस्तांतरण के पश्चात भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आते है एवं बिक्रेता हस्तांतरित भूमि के वास्तविक स्वामित्व/रैयत/हिस्सेदार एवं दखलकार हैं, सुनिश्चित कर निबंधन हेतु अनुमति प्रदान करेंगे।

7. अवर निबंधक, निबंधन से पूर्व क्रेता तथा विक्रेता के मध्य सहमति/Consensus के संबंध में संतुष्ट हो लेंगे।

उक्त विवेचन/शर्तो के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति अनुपालन के निमित अंचल अधिकारी, गोला को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

21/02/18

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
रामगढ़।

21/02/18

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
रामगढ़।

103/...
22/02/1...